श्रीमती जे० देवी महिला पी.जी. कालेज
बभनान-गोण्डा

दिनांक

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,
उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक NRC/NCTE/NRCAPP-4788/234 Meeting/2015/93489 दिनाक 14 अप्रैल 2015 के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि श्रीमती जे0 देवी महिला महाविद्यालय, बभनान, गोण्डा के प्रबन्धक द्वारा वांछित सूचनायें शपथ पत्र पर आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

(विजय कुमार पाण्डेय)
प्रबन्धक

Ram Baran Gupta NOTARIAL NOTARIAL GOVT. OF U.P.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ पत्र

शपथी विजय कुमार पाण्डेय, पुत्र स्व0 सुखपाल पाण्डेय, उम्र लगभग 48 वर्ष, सशपथ बयान करता हूं कि–

धारा–1 यह कि श्रीमती जे0 देवी महिला महाविद्यालय, बभनान–गोण्डा में प्रस्तावित बी0एड0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत बी0ए0 की कक्षाएँ वर्ष 2002 से एवं एम0ए0 की कक्षाएँ वर्ष 2010 से संचालित हो रही हैं। प्रमाण संलग्न है।

धारा–2 डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलसचिव द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तु किया जा रहा है।

धारा–3 यह कि महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु समय से अनुमोदन पत्रावली भेजी गयी थी, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा बिलम्ब से दिनांक 22.01.2016 को अनुमोदन प्राप्त होने के तत्काल बाद दिनांक 02.02.2016 को एन0सी0टी0ई0 कार्यालय को भेजा गया।

धारा–4 यह कि [illegible] 7.16) की सम्बद्धता के लिए विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन कराकर सम्पूर्ण पत्रावली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को दिनांक 02.02.2016 को प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्त धारा 1 से 4 तक सभी सूचनायें सत्य एवं सही हैं।

शपथी

प्रबन्धक
श्रीमती जे0 देवी महिला महाविद्यालय
बभनान-गोण्डा

प्रबन्धक
श्रीमती जे0 देवी महिला महाविद्यालय
बभनान-गोण्डा

(18)

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ–227132

संख्या–ई.स. 2009 / जी.एस.

दिनांक: 19 /10 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

महोदय,

आपके पत्रांकः लो०अ०वि० / सम्ब० / ११५ / २००६ दिनांक ३०–०६–२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ की धारा–३७ (२) के अधीन श्रीमती जे० देवी महिला महाविद्यालय, बभनान,गोण्डा को स्नातक स्तर पर कला सकायान्तर्गत हिन्दी,संस्कृत, राजनीतिशास्त्र,समाजशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान एवं प्रावीन इतिहास विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक ०१–०७–२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

१– संस्था उच्च शिक्षा विभाग व्दारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१ / सत्तर–२–२००३–१६ (६२) / २००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२– यदि संस्था व्दारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– प्रबन्धक / प्राचार्य, श्रीमती जे० देवी महिला महाविद्यालय, बभनान,गोण्डा।

विजय कुमार सिंह
(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रबन्धक
श्रीमती ज० देवी महिला महाविद्यालय
बभनान-गोण्डा

आवश्यक 19

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2012/5270 दिनांक : 05 सितम्बर, 2012

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्रीमती जे0 देवी महिला पी0जी0 कालेंज,
बभनान, गोण्डा।

विषय : महाविद्यालय में परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में कक्षा संचालन हेतु सम्बद्धता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : सम्ब0 135/सत्तर–6–2012–2(109)/2012 दिनांक 21 अगस्त, 2012 के क्रम में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) के अधीन श्रीमती जे0 देवी महिला पी0जी0 कालेज, बभनान, गोण्डा को परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय का विगत दो वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक होने के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2012 से डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

1. संस्था शासनादेश संख्याः 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन करेगी।
3. महाविद्यालय/संस्था द्वारा स्नातक स्तर पर उक्त विषयों मे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेशों/विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार नियमानुसार भरा जायेगा तथा उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
4. संस्था उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करना तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियगानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा महाविद्यालय को व्यवसायिक आधार पर संचालित नही किया जायेगा। उल्लंधन की स्थिति में सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

संलग्नक : यथोपरि

(एस0के0 शुक्ल) 5.9.2012
कुल सचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त
प्रतिलिपि :
1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–6), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या :सम्ब0 135/सत्तर–6– 2012–2(109)/ 2012 दिनांक 21 अगस्त, 2012 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. वित्त अधिकारी।
4. सहायक कुलसचिव परीक्षा।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव